



उ० प्र० सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 605 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जी०एस०टी०

दिनांक 24/06/2019

मुख्य अभियन्ता (वितरण) / (सामग्री प्रबन्ध-1/11)

(तकनीकी) / (वाणिज्य) / (जानपद) / (प्रशासन),

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

आगरा / आगरा-द्वितीय / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) /

अधिसासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

विषय :- जी०एस०टी० में पंजीकृत व्यक्ति/फर्मों को Tax Invoice के आधार पर ही भुगतान करने के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि जुलाई 2017 से जी०एस०टी० लागू होने के बाद भी, कुछ इकाईयों द्वारा जी०एस०टी० में पंजीकृत व्यक्ति/फर्मों से कराये जा रहे कार्यों के सापेक्ष टैक्स इनवॉइस प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं एवं केवल फॉर्म 27 के आधार पर जी०एस०टी० सहित भुगतान फर्मों को किये जा रहे हैं, जोकि गम्भीर अनियमितता है।

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति/फर्म सामान्य रूप से पंजीकृत है, तो उसके द्वारा सामग्री की आपूर्ति करते समय अथवा उसके द्वारा किये गये कार्यों के सापेक्ष, उसके द्वारा सम्बन्धित इकाई को टैक्स इनवॉइस निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसके आधार पर इकाई द्वारा उक्त फर्मों को जी०एस०टी० सहित धनराशि का भुगतान (नियमानुसार कटौती करते हुये) किया जाता है।


इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति/फर्म जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत 'कम्पोजिशन स्कीम' में पंजीकृत है, तो फर्म द्वारा टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice) के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई (Bill of Supply) निर्गत किये जाने का प्रावधान है एवं फर्म को बिल ऑफ सप्लाई में जी०एस०टी० की धनराशि को अलग से वसूल करने का भी अधिकार नहीं है।

नोट: चूँकि इकाई द्वारा 'कम्पोजिशन स्कीम' में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म को जी०एस०टी० मद में कोई भुगतान नहीं किया जाता है, अतः इस पर TDS (GST) मद में भी कटौती के प्रावधान लागू नहीं होते।

अतः उपरोक्तानुसार सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि जी०एस०टी० लागू होने के बाद से अबतक केवल फॉर्म 27 के आधार पर जी०एस०टी० में पंजीकृत व्यक्ति/फर्मों को किये गये जी०एस०टी० सहित भुगतानों के सापेक्ष टैक्स इनवॉइस/बिल ऑफ सप्लाई (जो भी लागू हो) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जायें तथा भविष्य में जी०एस०टी० में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म से पहले टैक्स इनवॉइस/बिल ऑफ सप्लाई (जो भी लागू हो) प्राप्त करें, व उसी पर ही भुगतान की कार्यवाही करते हुये भुगतान पारित करना सुनिश्चित करें एवं यदि आवश्यकता हो तो फॉर्म 27 को संलग्नक के रूप में टैक्स इनवॉइस/बिल ऑफ सप्लाई के साथ लगाया जा सकता है।

अन्यथा की स्थिति में केवल फॉर्म 27 के आधार पर जी०एस०टी० में पंजीकृत व्यक्ति/फर्मों को किये जाने वाले जी०एस०टी० सहित भुगतानों के कारण निगम/इकाई पर उत्पन्न वित्तीय हानि/भार/पेनाल्टी के लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

टैक्स इनवॉइस व बिल ऑफ सप्लाई में जो बिन्दु/सूचनाएँ अनिवार्यतः अंकित होनी चाहिए वह सुलभ-सन्दर्भ हेतु संलग्न कर पुनः प्रेषित की जा रही हैं।


(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जी०एस०टी० / दिनांक / 06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का० प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
3. उप महाप्रबन्धक (वित्त), IPDS/RGGVY 12th Plan/DDUGJY सौभाग्य योजना, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
6. समस्त अधिसासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।


(एस० के० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Tax Invoice (Main Points/Informations)

A tax invoice shall be issued by the registered person containing the following particulars, namely,-

- (a) Name, address and GSTIN of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters hyphen or dash and slash symbolised as --|| and -/|| respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) Date of its issue;
- (d) Name, address and GSTIN or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) Name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is fifty thousand rupees or more;
- (f) Name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is less than fifty thousand rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice;
- (g) HSN code for goods or services;
- (h) Description of goods or services;
- (i) Quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- (j) Total value of supply of goods or services or both;
- (k) Taxable value of the supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;
- (l) Rate of tax (CGST, SGST, IGST, UGST or cess);
- (m) Amount of tax charged in respect of taxable goods or services (CGST, SGST, IGST, UGST or cess);
- (n) Place of supply along with the name of the State, (in the case of a supply in the course of inter-State trade or commerce);
- (o) Address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (p) whether the tax is payable on reverse charge basis (RCM); and
- (q) Signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Bill of Supply (Main Points/Informations)

A bill of supply shall be issued by the supplier containing the following details, namely,-

- (a) Name, address and GSTIN of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters - hyphen or dash and slash symbolised as --|| and -/|| respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) Date of its issue;
- (d) Name, address and GSTIN or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) HSN Code for goods or services;
- (f) Description of goods or services or both;
- (g) Value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any; and
- (h) Signature or digital signature of the supplier or his authorised representative